

	<p>8. ग्राम साधारण निकाय के गठन पर सहायक आयुक्त चुनाव आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के तहत ग्राम साधारण निकाय के क्षेत्राधिकार के भीतर साधारणतः निवास कर निकोबारी जनजातियों की मतदाता सूची उस तरीके से जैसा निर्धारित है, तैयार करवाएगा।</p> <p>बशर्ते कि ऐसी मतदाता सूची में अन्य बातों के अलावा सभी ऐसे व्यक्तियों का नाम शामिल होगा जो उसके गठन की तारीख पर ग्राम साधारण निकाय के सदस्य होने के लिए अयोग्य न हुए हों और वित्तीय वर्ष में एक बार उस तरीके से, जैसा निर्धारित हो, संशोधित किया गया हो।</p>	सदस्यों की मतदाता सूची
	<p>9. (1) प्रत्येक ग्राम साधारण निकाय प्रति वित्तीय वर्ष में एक बार अक्टूबर तथा नवम्बर माह में और दूसरा अप्रैल तथा मई माह में आम बैठक आयोजित करेगी।</p> <p>बशर्ते कि फर्स्ट कैटन की लिखित माँग पर जिसमें कुल सदस्यों की संख्या का पाँचवा भाग शामिल हों, ऐसी माँग की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर असाधारण आम बैठक बुलाई हो।</p> <p>(2) फर्स्ट कैटन अथवा उनकी अनुपस्थिति में, सैकेंड कैटन और दोनों की अनुपस्थिति में, ग्राम साधारण निकाय द्वारा चुना गया कोई निकोबारी जनजाति ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा।</p> <p>(3) ग्राम साधारण निकाय की सभी बैठकों का समय और स्थान की सूचना उस तरीके से जैसा निर्धारित है, दी जाएगी।</p> <p>(4) ग्राम साधारण निकाय के कुल सदस्यों का पाँचवा भाग एक बैठक की गणपूर्ति करेगा।</p>	ग्राम साधारण निकाय की बैठक
	<p>10. (1) ग्राम परिषद द्वारा ग्राम साधारण निकाय के समक्ष उसके अप्रैल या मई की बैठक में प्रस्तुत करेगा :-</p> <p>(क) लेखा का वार्षिक विवरण (ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट (ग) उस वित्तीय वर्ष के लिए विकास और प्रस्तावित कार्य का अन्य कार्यक्रम; और (घ) पूर्व लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस पर बनाया गया उत्तर।</p> <p>(2) यह ग्राम साधारण निकाय के लिए उप धारा (1) के तहत उसके समक्ष प्रस्तुत किसी या सभी मामलों पर विचार-विमर्श हेतु खुला रहेगा और ग्राम परिषद, ग्राम साधारण परिषद द्वारा दिए गए सुझाव यदि हो पर विचार करेगा।</p> <p>(3) ग्राम साधारण निकाय प्रशासक के सामान्य या विशेष आदेश से, आवश्यक ऐसे अन्य कार्य कर सकते हैं।</p>	